नकल आदेश

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अलीगढ़,जनपद :एटा,तहसील :एटा
वाद सख्या :-01055/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201918210401055
नरसिंह भानसिंह एजु0टसट चेयरमैन द्वारा अनीतासिंह पत्नी रामखिलाड़ीसिंह बनाम गांसभा आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय उप जिलाधिकारी, एटा

वाद सं0—टी201918210401055 धारा—80 उ0प्र0रा0 संहिता 2006

मौजा—कुठिला लायकपुर, परगना—एटा सकीट, तहसील व जिला एटा।

नरसिंह भानसिंह एजूकेशनल ट्रस्ट चैयरमैन द्वारा श्रीमती अनीतासिंह निवासी 499 सैक्टर—2 पीपल अड्डा एटा वनाम् गांवसभा

आदेश

उपरोक्त धारा के अन्तर्गत वादिया श्रीमती अनीतासिंह ने मौजा कुठिला लायकपुर में स्थित गाटा सं0 209स/0.178, 222स/0.121 व 222स/0.283 209स/0.243है0 भूमि को आवादी घोषित कराये जानें हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया। जिसपर तहसीलदार एटा से जॉच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार एटा ने जॉच आख्या दिनांक 16.01.2019 में यह उल्लेख किया है कि वर्णित भूमि में कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, वागवानी आदि कार्य नही हो रहा है। वादिया पूर्ण भाग की संक्रमणीय भूमिधर मालिक है। अकृषक भूमि हैं। आवादी प्रयोजन में लायी जा रही है। जिसमें मौका पर निर्माण कार्य चल रहा है। जिसका फोटोग्राफ साथ में संलग्न है। प्रश्नगत आराजी को उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषक (आवादी) घोषित किये जाने हेतु नक्शा नजरी सहित आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त वादिया ने ग्राम प्रधान को जरिये सम्मन तामील कराई गयी। ग्राम पंचायत कुठिला लायकपुर के ग्राम प्रधान मुन्नेश कुमार द्वारा अपने पैड पर दिनांक 26.01.2019 में यह उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि की तन्हा स्वामी ट्रस्ट की चैयरमैन श्रीमती अनीतासिंह है। निर्माण कार्य जारी है। आवादी घोषित होने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने आवादी घोषित होने वाले भू—खण्ड की वावत उप निवन्धक एटा की आख्या दिनांक 05.02.2019 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की मूल्यांकन आख्या 33,00,000/रु0 का 1 प्रतिशत राजस्व शुल्क 33,000/रु0 चालान नम्बर बी0सी0 25459 द्वारा दिनांक 12.02.2019 को भारतीय स्टेंट वैक एटा में जमा करके चालान की प्रति एवं कोर्ट फी के रुप में स्टॉम्प शुल्क 33,000/रु0 का स्टॉम्प वादिया द्वारा उपलव्ध करा दिया गया हैं। जो पत्रावली पर संलग्न है। वादिया ने अपने साक्ष्य में ग्राम प्रधान की अनापत्ति एवं स्वंय का शपथपत्र एवं अपने शसपथ ब्यान अंकित कराये है।

Secretary
Delhi World Public School
Etah

पृष्ठ संख्या :

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य तथा तहसीलदार एटा की जॉच आख्या दिनांक 16.01.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी में कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, वागवानी आदि कार्य नही हो रहा है। भूमि ट्रस्ट के रुप में दर्ज कागजात हैं जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है।

अतः तहसीलदार एटा की आख्या दिनांक 16.01.2019 मय नक्शा नजरी के स्वीकार की जाती है। जो आदेश का अंग रहेगी। नरसिंह भानसिंह एजूकेशनल ट्रस्ट चैयरमैन द्वारा श्रीमती अनीतासिंह की भूमि मौजा कुठिला लायकपुर की खतौनी वर्ष 1422 लगायत 1427फसली के खाता सं0 93 की गाटा सं0 222स/0.283है0 लगानी 3.60/पै0 व खाता सं0 190 की गाटा सं0 209स/0.178, 222स/0.121है0 कुल 2 किता 0.299है0 लगानी 6.60/पै0 व खाता सं0 130 की गाटा सं0 209स/0.243है0 लगानी 6.00/रु0 को कृषि भूमि के स्थान पर अकृषक भूमि (आवादी) घोषित कर भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति अमलदरामद हेतु तहसीलदार एटा को भेजी जाय तथा एक प्रति अनुपालन हेतु उपनिवन्धक एटा को भेजी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13 –02–2019

उप जिलाधिकारी
एटा

TRUE COPY
S.D.M. Etah
13-2-19

185
श्रीमती अनीता सिंह
12-02-19
13-2-19
13-2-19
13-2-19

Copied by
Compared by

http://vaad.up.nic.in/Judgement/Print_Advetise_Details.aspx?cno=T201918210401055&fil... 2/12/2019

Secretary
Delhi World Public School
Etah